

प्रेषक,

जावेद उस्मानी

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१- प्रमुख सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/कृषि विभाग/सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/राजस्व विभाग/पशुपालन विभाग/दुग्ध विकास विभाग/कार्मिक विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

२- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

३- जिलाधिकारी, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक : ०१ अप्रैल, २०१३

विषय : चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनर्स्थापन हेतु कार्य योजना।
महोदय,

लखनऊ नगर में लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ८४६.४९ एकड़ भूमि में चक गंजरिया फार्म स्थापित है। चक गंजरिया फार्म की उक्त भूमि में वर्तमान में सम्पादित हो रहे कार्य-कलापों की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के आसपास रिक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण अनेक जनोपयोगी अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। चक गंजरिया फार्म की उक्त भूमि शहरी क्षेत्र के निकट होने के कारण अवस्थापना सुविधाओं यथा - सूचना एवं प्रौद्योगिकी नगर की स्थापना, अत्याधुनिक चिकित्सकीय संस्थानों की स्थापना, आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट आदि के साथ-साथ आवासीय व व्यवसायिक अवस्थापना सुविधाओं व अन्य जनोपयोगी कार्य-कलापों के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

२- चक गंजरिया फार्म की ८४६.४९ एकड़ भूमि (स्थलीय सर्वेक्षण के आधार पर वास्तविक रूप से उपलब्ध ८५२.७३ एकड़) का स्थलीय विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम का नाम	पशुपालन विभाग	ग्राम समाज (कुसर)	ग्राम समाज (बंजर)	कुल योग
	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
अहमामऊ	२१९.१९	६०.४८		२७९.६७
मस्तेमऊ	१५१.५०		३७.७१	१८९.२१
चक कंजेहरा	३७७.६१			३७७.६१
	७४८.३०	६०.४८	३७.७१	८४६.४९

I. Singh V.C.O.

1/8

पशुपालन विभाग की भूमि में से 25.05 एकड़ भूमि पशुधन अनुभाग-2 के आदेश संख्या 1303/12-प-2-27(116)/84 दिनांक 01 मई, 1985 द्वारा लखनऊ दुग्ध संघ को हस्तान्तरित की जा चुकी है। पशुधन अनुभाग-2 के आदेश संख्या 3534/सैंतीस-2-2012-30(85)/12 दिनांक 21 नवम्बर, 2012 द्वारा आई.टी. सिटी की स्थापना हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को 150 एकड़ भूमि का हस्तान्तरण किया गया है।

3- अतएव, उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने तथा संतुलित पर्यावरण में औद्योगिक विकास का वातावरण उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से चक गंजरिया फार्म की भूमि पर वर्तमान में संचालित गतिविधियों को अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर इस भूमि की लोकेशन व महत्व के दृष्टिगत इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार सुनियोजित विकास का निर्णय लिया गया है :-

(1) चकगंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि में से आई.टी. सिटी की स्थापना हेतु 150 एकड़ भूमि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 3534/सैंतीस-2-2012-30(85)/12 दिनांक 21 नवम्बर, 2012 द्वारा लिया गया था। तत्समय केवल आई.टी. सिटी की ही स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था, जबकि वर्तमान में अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित किए जाने, एप्रोच व अवस्थापना विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आई.टी. सिटी की स्थापना हेतु तत्समय निर्धारित किए गए क्षेत्रफल व लोकेशन में संशोधन वांछित है। अतः पशुधन अनुभाग-2 द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश को निरस्त कर चक गंजरिया फार्म की कुल भूमि के सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से तैयार किए गए संलग्न भू-उपयोग मानचित्र के अनुसार निम्नवत् विभागों को हस्तान्तरित किया जाएगा :-

- (i) आई.टी. सिटी की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।
- (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0 आई0टी0) की स्थापना हेतु 50 एकड़ भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।
- (iii) आधुनिक मेडीसिटी की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी। आधुनिक मेडीसिटी में विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान व अन्य चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की जायेगी।
- (iv) पी.पी.पी. मोड पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/कार्डियोलॉजी सेन्टर स्थापित किए जाने हेतु 20 एकड़ भूमि चिकित्सा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी।
- (v) दुग्ध संघ को हस्तान्तरित की गयी 25.05 एकड़ भूमि उनके द्वारा शासन को समर्पित की जायेगी। इसके एवज में अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना हेतु 20 एकड़ भूमि एवं वर्तमान परिसम्पत्तियों व

आस्तियों की पुनर्स्थापना के लिए 05 एकड़ भूमि दुग्ध विकास विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी।

(vi) उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी की स्थापना के लिए 25 एकड़ भूमि कार्मिक विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी।

(vii) चक गजरिया फार्म में उपलब्ध कुल भूमि में से उपरोक्तानुसार विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधीन प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 320 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त पशु पालन विभाग के नाम अवशेष भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रचलित सर्किल दर पर हस्तान्तरित की जाएगी तथा ग्राम समाज की भूमि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्ग्रहण कर प्रचलित सर्किल दर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जायेगी।

(2) चकगंजरिया फार्म में पशु पालन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित डी.एफ.एस. योजना को राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में हस्तान्तरित किया जायेगा, जिसके लिए 25 एकड़ भूमि कृषि विभाग द्वारा पशुपालन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा वर्तमान स्थल पर निर्मित परिसम्पत्तियों के स्थान पर चरणबद्ध रूप से अधिकतम 02 वर्ष की अवधि में रहमानखेड़ा, लखनऊ में यथावश्यकता परिसम्पत्तियों को निर्मित/स्थापित किया जायेगा।

(3) चकगंजरिया फार्म के अन्दर वर्तमान स्थल पर संचालित पशुपालन विभाग के अन्य कार्य-कलापों एवं प्रस्तावित आधुनिक डेयरी फार्म परियोजना को राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट जनपद बाराबंकी स्थित भूमि पर स्थापित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार गतिविधियों का स्थानान्तरण चरणबद्ध रूप से अधिकतम दो वर्ष की अवधि में इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे संचालित गतिविधियाँ प्रभावित न हों।

(4) दुग्ध संघ की 25.05 एकड़ भूमि में वर्तमान में स्थित सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के भवन, एस0एम0पी0 गोदाम व मिलक पार्लर के भवन को दुग्ध विकास विभाग को दी जाने वाली 5 एकड़ भूमि में समायोजित किया जाएगा। परियोजना की समग्रता के दृष्टिकोण से किये गये नियोजनानुसार दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस भूमि पर यथावश्यकता परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जायेगा। शेष 20 एकड़ भूमि पर दुग्ध विकास विभाग द्वारा आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट की स्थापना करायी जायेगी।

(5) पशुपालन विभाग के कार्यकलापों को रहमानखेड़ा एवं निबलेट बाराबंकी में उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक स्थान पर स्थापित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए अनुपयोगी भवनों को चरणबद्ध रूप से ध्वस्त किया जायेगा, जिससे कि सुनियोजित विकास के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार दुग्ध संघ की गतिविधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए अनुपयोगी भवनों को चरणबद्ध रूप से ध्वस्त किया जायेगा। संबंधित विभागों द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुसंगत नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।

(6) महायोजना 2021 में निर्धारित प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग के अनुसार प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं का नियोजित रूप से विकास किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। अतएव विभिन्न विभागों/संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल एवं लोकेशन दर्शाते हुए सम्पूर्ण भूमि का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये संलग्न भू-उपयोग मानचित्र के अनुसार उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जाएगी। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु देय शुल्क लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त होता है। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु यथास्थिति नियमानुसार देय धनराशि का समायोजन भू-मूल्य के सापेक्ष नहीं किया जायेगा, अपितु इसकी व्यवस्था यथावश्यकता विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी।

(7) परियोजना स्थल की अवस्थापना सुविधाओं का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। ऐसी अवस्थापना सुविधाएं, जिनका उपयोग कामन रूप से सभी विभागों द्वारा किया जाना निर्धारित हो, की लागत से संबंधित धनराशि का समायोजन भूमि के मूल्य के रूप में देय धनराशि से नहीं किया जायेगा, अपितु इसकी व्यवस्था विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी। इसके अन्तर्गत मानचित्र में दर्शित जोनल स्तर की 30 मीटर व अधिक चौड़ी सड़कों का निर्माण, ट्रंक सीवर, स्टार्म वाटर ड्रेन व वाह्य विद्युतीकरण के निर्माण/विकास कार्य सम्मिलित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में विभागीय बजट से देय धनराशि की अधिकतम सीमा भूमि के मूल्य के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि तक सीमित होगी। प्रशासनिक विभागों को आवंटित भूमि के आन्तरिक विकास कार्य संबंधित विभागों द्वारा अपने स्रोतों से कराये जायेंगे।

(8) विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत जोनल स्तर की 30 मी0 व अधिक चौड़ी सड़कों एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण/विकास से संबंधित भूमि विभागों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित क्षेत्रफल में नियोजित की जायेगी, किन्तु आई0टी0 सिटी व आई0आई0आई0टी0 हेतु भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल कमशः 100 एकड़ व 50 एकड़ रहेगा।

(9) महायोजना 2021 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना स्थल के मध्य से 150 मीटर चौड़ी रिंग रोड व इसके दोनों ओर ग्रीन वेल्ड (हरित पट्टी) प्रस्तावित है, जिससे परियोजना की लगभग 180 एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है तथा सम्पूर्ण परियोजना स्थल विभक्त हो रहा है, जिसको स्थिर रखते हुए चिन्हित स्थल का प्रभावी उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। अतः वर्तमान स्थल पर प्रस्तावित रिंग रोड, महायोजना ग्रीन एवं महायोजना के अनुसार नगरीय स्तर की सुविधाओं (सिटी लेवल फैसिलिटीज) को लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारित अंश में अथवा अन्यत्र प्राविधानित किया जाएगा। इस हेतु चकगंजरिया फार्म की प्रस्तावित भूमि में रिंग रोड के री-एलाइन्मेंट के साथ-साथ आवश्यकतानुसार अन्य भाग के एलाइन्मेंट में भी नियमानुसार परिवर्तन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

(10) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय क्षेत्र में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दुर्बल आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवनों का प्राविधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका निर्माण व आवंटन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इन भवनों के निर्माण की लागत भी डी.पी.आर. का अंश होगी।

(11) नयी अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता का परीक्षण करते हुए विभाग के उपलब्ध परिव्यय के अन्तर्गत नियोजन व वित्त विभाग की सहमति से बजट प्राविधान कराकर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वित्तीय संसाधन की दृष्टि से संबंधित विभाग इस हेतु निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

(12) प्रशासनिक विभागों द्वारा बजटीय प्राविधान के माध्यम से व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार निर्धारित अधिकतम सीमा तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विक्रय से होने वाली आय, जो राजकोष में जमा करायी जायेगी, में से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त की जाएगी :-

(i) पशुपालन विभाग की प्रस्तावित आधुनिक डेयरी फार्म योजना व चकगंजरिया फार्म में चल रहे विभागीय कार्यक्रमों के स्थानान्तरण/पुनर्स्थापना एवं समस्त सुविधाओं के पुनर्सृजन हेतु अधिकतम रूपए 200 करोड़ की धनराशि।

(ii) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित कैंसर संस्थान हेतु अधिकतम रू0 200 करोड़ की धनराशि।

(iii) आई.आई.आई.टी. की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश अधिकतम रूपए 64 करोड़ की सीमा तक (कुल लागत रू0 128 करोड़ का 50 प्रतिशत)।

(iv) दुग्ध विकास विभाग द्वारा पी.सी.डी.एफ. एवं अन्य इकाइयों के सुदृढीकरण हेतु रू0 40.00 करोड़ की धनराशि एवं दुग्ध विकास को हस्तान्तरित की गयी 5.00 एकड़ भूमि में परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए रू0 5.00 करोड़ की धनराशि।

(13) महायोजना, 2021 में परियोजना स्थल के 109.71 एकड़ भूमि का भू-उपयोग महायोजना ग्रीन तथा 54.81 एकड़ भूमि का भू-उपयोग कृषि भूमि के रूप में निर्धारित है। इसके सापेक्ष प्रश्नगत प्रस्ताव के अन्तर्गत केवल 33.85 एकड़ भूमि ही ग्रीन एरिया के रूप में प्रस्तावित है। इसकी सम्यक प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा वन विभाग के परामर्श के अनुसार की जायेगी।

परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के संगत प्रस्तावक विभागों द्वारा योजनाओं के संबंध में निर्माण प्रारम्भ किये जाने के पूर्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित), जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम 1981 के अन्तर्गत नियमानुसार यथावश्यक पर्यावरण स्वीकृतियों/अनापत्तियों प्राप्त कर किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागीय अवस्थापनाओं के सृजन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया तथा प्राधिकरण द्वारा भूमि के निस्तारण के उपरान्त प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यावर्तन (Diversion) को रोकने हेतु रिंग फेंसिंग (Ring Fencing) की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

- (i) विशिष्ट सरकारी प्रयोजनों के लिए ईयर मार्क भूमि के उपरान्त अवशेष समस्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को सर्किल रेट पर उपलब्ध करायी जायेगी। ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए आवश्यक भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु उपयोग की गयी भूमि के पश्चात् अवशेष विकसित भूमि का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा नीलामी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जायेगा, ताकि भूमि का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- (ii) भूमि की नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा जायेगा। इस खाते को "परियोजना विकास फण्ड" कहा जायेगा। इस खाते का संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं शासन के वित्त विभाग द्वारा नामित अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। परियोजना विकास फण्ड से विभिन्न मदों के लिए धनावंटन उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।
- (iii) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के विक्रय/नीलामी से होने वाली आय से विशिष्ट सरकारी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली निर्धारित धनराशि राजकोष में निर्धारित प्राप्ति शीर्षक में जमा करायी जायेगी और उसके सापेक्ष उक्त प्रयोजनों के लिए धनराशि की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं, उपलब्ध परिव्यय एवं वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नियोजन विभाग का अभिमत प्राप्त कर संबंधित विभागों के बजट में प्राविधान कराकर की जायेगी। यह सम्भाव्य है कि कई परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रारम्भ में ही उपलब्ध करायी जानी आवश्यक हो, जबकि भूमि के निस्तारण के उपरान्त प्राधिकरण से धनराशि मिलने में समय लगे। इसके दृष्टिगत परियोजना की सफलता के उद्देश्य से संबंधित विभागों को धनराशि बजट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति उच्च स्तरीय समिति (एच0एल0सी0) के निर्देशानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि से होती जायेगी।
- (iv) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चक्रांगरिया फार्म की भूमि के विकास हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जायेगी, जिसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और उसके अनुसार ही उपरोक्त भूमि का विकास होगा। परियोजना क्षेत्र में कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए धनराशि की व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ में अपने स्रोतों से की जायेगी। जैसे-जैसे भूमि के निस्तारण से धनराशि परियोजना विकास फण्ड में उपलब्ध होती है, वैसे-वैसे डी.पी.आर. में अनुमोदित लागत एवं व्यय की समय सारणी के अनुसार उच्च

स्तरीय समिति के अनुमोदन से धनराशि प्राधिकरण को अवमुक्त होगी। परियोजना विकास फण्ड में धनराशि उपलब्ध होने पर किस मात्रा में उसका आवंटन प्राधिकरण द्वारा डी.पी.आर. के अन्तर्गत किये गये कार्य हेतु किया जायेगा तथा किस मात्रा में निर्धारित शासकीय परियोजनाओं के लिए होगा, इसका निर्धारण उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

(v) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किये जाने वाला व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर निर्धारित हो और जो धनराशि दी जा रही है, उसका प्रयोग अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाय।

(vi) परियोजना क्षेत्र के विकास एवं अवस्थापना विकास कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिवाल्विंग फण्ड का सृजन किया जाएगा जिसमें प्रारम्भिक धनराशि का प्राविधान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से किया जाएगा।

(vii) लखनऊ नगर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु "लखनऊ मेट्रो फण्ड" नाम से एक कोष सृजित किया जायेगा। इस कोष का एक पृथक खाता खोला जायेगा तथा अग्रिम व्यवस्था होने तक इस खाते का संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। चक्रगंजरिया परियोजना के समस्त दायित्वों के निर्वहन के उपरान्त उपलब्ध समस्त सरप्लास धनराशि अन्ततोगत्वा लखनऊ मेट्रो फण्ड में स्थानान्तरित की जायेगी। लखनऊ मेट्रो फण्ड का उपयोग केवल लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा।

(viii) परियोजना विकास फण्ड में भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि जमा की जायेगी। इसमें से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, भूमि की लागत की अधिकतम सीमा तक अवस्थापना विकास कार्यों पर व्यय एवं परिसम्पत्तियों व अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विभागों द्वारा बजटीय प्राविधान से व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की निर्धारित अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति हेतु उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) के अनुमोदन से धनराशि आहरित की जाएगी। अवशेष उपलब्ध सरप्लास धनराशि लखनऊ मेट्रो फण्ड में उपलब्ध करायी जायेगी।

(ix) परियोजना में निहित भूमि का विक्रय/नीलामी/निस्तारण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने की प्रक्रिया पर वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-371 के प्राविधान (शासकीय विभागों की भूमि का निस्तारण राजस्व विभाग द्वारा किया जाना) प्रभावी नहीं होंगे।

(x) राजकीय भूमि का मूल्य लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा राजकोष में न्यूनतम निर्धारित अवधि में जमा किया जायेगा।

(15) परियोजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) का गठन किया जायेगा, जो कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति

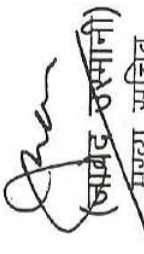
निर्धारित किए जाने, सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने, अन्य आवश्यक कार्यवाही तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी। उक्त समिति द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(16) परियोजना से सम्बन्धित क्षमस्त कार्यवाही हेतु नोडल विभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग होगा तथा परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना स्थल की भूमि की लागत, विकास कार्यों पर व्यय, भू-उपयोग परिवर्तन की धनराशि एवं प्रशासनिक व्यय आदि को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी. आर) तैयार की जाएगी, जिसका अनुमोदन उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) द्वारा किया जाएगा।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्ताव-3 में लिए गये निर्णयानुसार अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आनंद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/पर्यावरण/वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- गार्ड बुक।

आज्ञा से

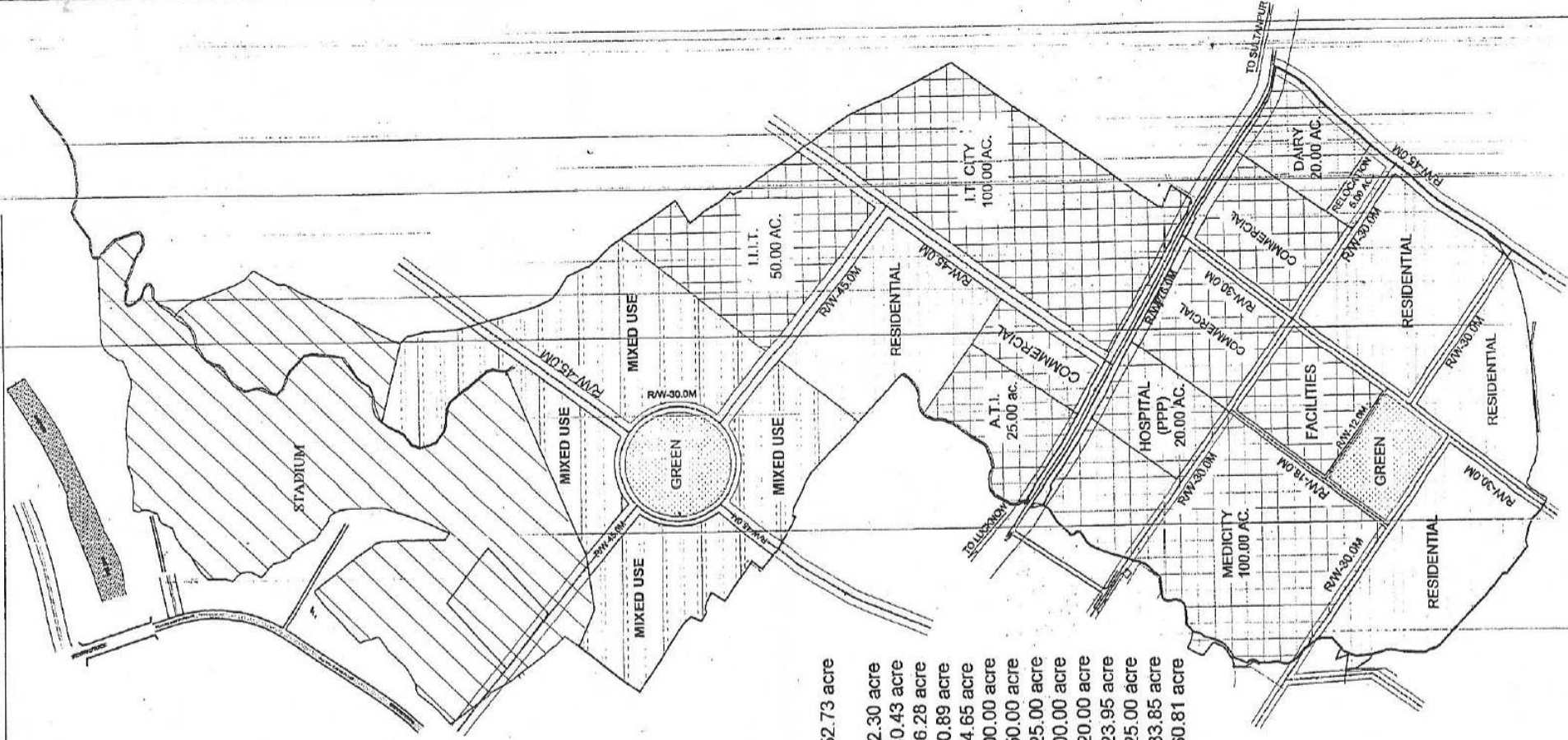
9/11/2017

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

26

PROPOSED LANDUSE PLAN

Not Scaled



TOTAL AREA	= 852.73 acre
AREA UNDER RD. WIDENING (SULTANPUR ROAD)	= 12.30 acre
NET AREA	= 840.43 acre
MIXED USE AREA	= 156.28 acre
RESIDENTIAL AREA	= 180.89 acre
COMMERCIAL AREA	= 64.65 acre
I.T. CITY AREA	= 100.00 acre
I.I.T. AREA	= 50.00 acre
DAIRY/RELOCATION AREA	= 25.00 acre
MEDICITY AREA	= 100.00 acre
HOSPITAL (PPP) AREA	= 20.00 acre
FACILITIES AREA	= 23.95 acre
A.T.I. AREA	= 25.00 acre
GREEN AREA	= 33.85 acre
AREA UNDER ROAD	= 60.81 acre

